फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : सुश्री संजना — **विपक्षी : श्री धर्मा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 91/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक बताकर विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्क सुने। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण की पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। इसलिए विपक्षी को हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 248 से 261, 263, 264, 268, 271, 288, 290 किता 20 रकबा 5.6332 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 269 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 धर्मा पिता भभूता भील अपने हिस्से से अधिक का बेचान नहीं करें। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 1[illegible]:25:18 IST
Reason: SelfAttested

(क[illegible] कुमार कोठारी)
[illegible]ायक कलक्टर
(SDO) मावली